झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 19/20-21 फ०ला० / राँची, दिनांक 03-02-2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :— जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन कुल ₹86.01 लाख (रूपये छियासी लाख एक हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर परिक्षेत्राधीन कुल ₹86.01 लाख (रूपये छियासी लाख एक हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रमण्डल का नाम :—जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर (लाख रू० में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	TAC की अनुशंसा	SRC की अनुशंसा	प्राक्कलित राशि
i.	पलामू जिलान्तर्गत छत्तरपुर डूप ग्राम को अमानत नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य।	1. कटाव निरोध कार्य अनुशंसित। उक्त प्रभाग के कटाव निरोधक कार्य के प्राक्कलन को मुख्य अभियंता द्वारा SRC में समर्पित किया जाय। 2. योजना का Index Map, विगत तीन वर्षों में होने वाले क्षति से संबंधित आँकड़े एवं योजना से लाभान्वित होने वाले जनसंख्या/ भू–रकवा से संबंधित आँकड़े SRC को उपलब्ध कराया जाय। 3. कटाव निरोधक कार्य के Cross Section, प्रस्तावित योजना के प्राक्कलन के अनुरूप होना चाहिए।	TAC के अनुशंसा के आलोक में प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है।	₹ 86.01
			सकल योग :—	**₹ 86.01**

3. प्रस्तावित कार्य वित्तीय वर्ष 2020—21 में प्रारंभ कर वर्ष 2021—22 में पूर्ण कराया जायेगा।

4. इस कार्य पर होनेवाला व्ययः—

मुख्य शीर्ष —4711— बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष —01— बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष —789— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—58—नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण के अंतर्गत भारित होगा।

5. कंडिका-2 में प्रस्तावित कार्य जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा एवं कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होगें।

6. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

7. इस कार्य के लिए वर्ष 2020–21 के बजट में उपबंध है।

8. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

9. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची की स्वीकृति प्राप्त है।

11. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०–हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

02/02/21

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 19/20-21 प०(नी०/राँची, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :– आंतरिक वित्तीय सलाहाकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 19/20-21 प०(नी० /राँची, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 19/20-21 प०(नी०/राँची, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल–3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 19/20-21 प०(नी०/राँची, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/1102/2019 19/20-21 प०(नी०/राँची, दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव